| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील जीसीएमएस नम्बर 2020/00547<br>दुर्गालाल बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.02.2024 | पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। वकील उभयपक्ष की बहस अपील पोषणीय न होने से खारिज करने एवं प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 करने पर सुनी गयी। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 90(बी) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 11.03.2013 के विरूद्ध अपीलान्ट्स ने मान्य न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भुनेश्वर नारायण नारायण योजना जयपुर चौंमू रोड चौंमू के नियमन हेतु '' भुनेश्वर नारायण योजना जयपुर चौंमू रोड चौंमू के नियमन हेतु ''भुनेश्वर नारायण विकास समिति'' के मार्फत उक्त योजना में भूखण्डधारकों द्वारा जरिये इकरारनामा क्रय किये गये भूखण्ड के संबंध में पत्रावली प्रस्तुत किये जाने पर 90(बी) राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिसके संबंध में लोक सूचना राज पत्रिका मे दिनांक 28.02.2013 को प्रकाशित की गई। जिस लोक सूचना में व निर्णय अधीन अपील में क्रय किये गये भूखण्डधारियों के नाम निम्न प्रकार हैः— भवानी सिंह पुत्र हरदयालय सिंह जाति राजपूत, कन्हैयालाल पुत्र नानगरराम कुमावत, आशा देवी अग्रवाल पत्नी राजकुमार, बनवानी लाल, कन्हैयालाल, मदन लाल पुत्रान भूरामल, विमलेश पत्नी नन्द सिंह, पोखरमल पुत्र मोडूराम, रतनी देवी पत्नी पोखर। अपीलान्ट ने मान्य न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई है उसमें जेडीए तहसीलदार, राज0 सरकार व कन्हैयालाल को ही रेस्पोडेन्ट समोजित कर प्रस्तुत की है। अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील में उक्त भुनेश्वर नारायण विकास समिति के सदस्यों उक्त भवानी सिंह, कन्हैयालाल, आशा देवी, बनवारी लाल, कन्हैयालाल, मदन लाल, विमलेश, पोखरम, रतनी देवी को पक्षकार अपील नहीं बनाया है। उक्त संस्था के उक्त व्यक्ति अपील के निस्तारण के लिये आवश्यक है। इनको पक्षकार न बनाये जाने से मान्य न्यायालय के समक्ष अपील पोषणीय नहीं है। इसलिये अपील अपीलार्थी सरसरी तौर पर ही आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार न बनाये जाने के कारण अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश खसरा नम्बर 6902 रकबा 1.63 हैक्टेयर में मोहरू पुत्र पन्ना नायक का निहित हिस्सा 16133/16300 में से 6000/16133 की भूमि के वि ाय में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2023 की आड में भवानी सिंह पुत्र हर दयाल सिंह जाति राजपूत, आशा देवी अग्रवाल पत्नी राज कुमार, बनवारी लाल, कन्हैयालाल, मदन लाल पुत्रान भूरामल, विमलेश पत्नी नन्द सिंह, पोखर मल पुत्र मोडूराम, रतन देवी पत्नी पोखरमल निवासी धमोड हॉस्पिटल के सामने जयपुर रोड, चौंमू तहसील चौमूं के द्वारा अपीलान्ट के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी की जा रही है। इस कारण उपरोक्त व्यक्तियों को अपील में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है'' पूर्णत असत्य लिखा गया है जो अस्वीकार है, अपीलान्ट का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा नहीं है। अपीलान्ट ने आवश्यक पक्षकार को अपील में जानबूझकर बराये बदनियति पक्षकार नहीं बनाया है। जिस कारण अपील अपीलान्ट इन्कोम्पीटेंट है जिसके सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट | |

संभागीय आयुक्त
जयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील जीसीएमएस नम्बर 2020/00547<br>दुर्गालाल बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.02.2024 | संख्या 4 ने मान्य न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.07.2022 को आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार न बनाने से अपील पक्षकार पोशणीय न होने से अपील खारिज करने का आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसको नि प्रभावी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र बराये बदनीयति पेश किया है जो खारिज योग्य है। आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के प्रावधान वादों पर लागू होते है। मान्य न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन है। इसलिये अपील में आदेश 41 नियम 20 के प्रावधान लागू होते है जब अपील के लिये आदेश 41 नियम 20 में स्प ट प्रावधान है तो ऐसी सूरत में धारा 151 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिये अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन इसी बिन्दू पर खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.03.2013 के विरूद्ध अपीलान्ट ने धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ मियाद बाहर अपील दिनांक 13.07.2020 को मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। जिसमें निर्णय अधीन अपील में वर्णित समस्त व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से मान्य न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.07.2022 को आवेदन इस आशय का पेश किया कि "अपीलार्थी द्वारा अपील में आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार न बनाये जाने के कारण अपील पो ाणीय नहीं होने से खारिज फरमाई जावे। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा अपील में आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार न बनाये जाने के कारण अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।<br><br>वकील अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 का जवाब करते हुये कथन किया कि अपीलान्ट के पूर्वज स्वर्गीय मोहरू पुत्र पन्ना (मृत्यु दिनांक 06.07.2009) अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम चौंमू, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित साबिका खसरा नम्बर 1968/1 हाल खसरा नम्बर 6902/2 रकबा 1.63 हैक्टेयर भूमि में से हिस्सा 6000/16133 भूमि राजस्थान सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक 3(4)नविवि/3/2022 दिनांक 01.11.2012 के मद नम्बर 09 व धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 तथा राजस्थान अभिधृति अधिनियम–47 सन् 1958 का उल्लंघन करते हुये जाप्ता दीवानी के प्रावधानों का उल्लंधन करते हुये मृत व्यक्ति के विरूद्ध वारिसों को पक्षकार बनाये बिना, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, विधि विरूद्ध मृत व्यक्तिय के विरूद्ध भुनेश्वर नारायण विकास समिति के मंत्री/सचिव रेस्पोडेन्टस संख्या–04 द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिकार प्राप्त बताते हुए अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2012 पर जरिये मंत्री/सचिव, हस्ताक्षर कर छल,कपट, बेईमानीपूर्वक तथ्य छुपाते हुए भूखण्डधारियों की मिथ्या सूचना देकर अधिनस्थ न्यायालय से आदेश दिनांक 11.03.2013 पारित करवाया, के विरूद्ध अपील के मद नम्बर 7 में वर्णितानुसार विलम्ब की क्षमा चाहते हुए बाद जानकारी न्यायालय श्रीमान के समक्ष अपीलान्ट ने अपील ठोस व सुदृढ आधारों पर आवश्यक पक्षकार सोसायटी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार बनाकर पेश की है, जिस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने | |

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>अपील जीसीएमएस नम्बर 2020/00547<br>दुर्गालाल बनाम सरकार | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24.02.24 | योग्य है। तथाकथित भुनेश्वर नारायण विकास समिति के मंत्री/सचिव/रेस्पोडेन्ट संख्या 04 द्वारा सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1960 की धारा 6 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मृत व्यक्ति अपीलान्ट के पूर्वज मोहरू पुत्र धन्ना मृत्यु दिनांक 06.07.2009 की खातेदारी भूमि में हिस्सा 6000/16133 को नियमन कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2012 की सूची पेश किया, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाकर लोक सूचना दिनांक 28.02.2013 सम्पूर्ण भूखण्ड धारियों की प्रकाशित नहीं की गई तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2013 पारित किया गया, तथा उन्हीं व्यक्तियों को आवश्यक पक्षकार बनाने का आवेदन रेस्पोडेन्ट संख्याा 4 द्वारा प्रकरण में अनावश्यक देरी करने के आशय से तथ्य छुपाकर पेश किया गया, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 04 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्षा पेश की गई भूखण्ड धारियों की सूची व लोक सूचना दिनांक 28.02.2013 राजस्थान पत्रिका में भी अलग–अलग प्रविष्ठी की गई है। सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 6 की पालना में अपीलान्ट ने आदेश 1 नियम 8 व आदेश 41 नियम 20 जाप्ता दीवानी में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में सचिव/मंत्री तथा कथित भुनेवश्वर नारायण विकास समिति के सचिव/मंत्री को पक्षकार बनाया है, रेस्पोडेन्ट संख्या 04 ने न ही तो समिति का रजिस्टर, न ही कार्यवाही सोसायटी रजिस्ट्रेशन 1960 की धारा 4 में वर्णितानुसार प्रार्थना पत्र को साथ संलग्न पेश किया है, न ही वास्तविक सूची आज दिनांक तक न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की है। कपोल कल्पित, काल्पनिक, मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में अनावश्यक देरी करने के आशय से निराधार प्रस्तुत किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 04 को मंत्री/सचिव भुनेश्वर नारायण विकास समिति का मंत्री अपंजीकृत संस्था का होने से बनाया है, जिसके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.12.2012 को नियमन कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत मय संलग्न भूखण्ड धारियों को किया, के पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोक सूचना में भूखण्ड धारियों की भिन्नता है, सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 04 ने विकास समिति का रजिस्टर कार्यवाही भूखण्ड धारियों की सूची इत्यादि पेश नहीं की है, जिससे स्प ट है कि सम्पूर्ण कार्यवाही का जिम्मेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 04 है तथा वही प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। जिस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 का प्रार्थना पत्र विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से व प्रकरण में अनावश्यक देरी के आशय से पेश किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है।<br><br>हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस प्रा. पत्र आदेश 1 नियम 10 एवं प्रारम्भिक आपत्तियों पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी ने उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2013 के विरूद्ध दिनांक 13.07.2020 को आवश्यक पक्षकारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–13 जे.डी.ए. द्वारा | |

संभागीय आयुक्त
जयपुर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**अपील जीसीएमएस नम्बर 2020/00547**<br>**दुर्गालाल बनाम सरकार** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.02.24 | भूमि खसरा नम्बर 6902 रकबा 1.63 हैक्टेयर ग्राम तहसील चौमूं के सम्बन्ध में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2014 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाधीन आदेश खसरा नम्बर 6902 रकबा 1.63 हैक्टेयर में मोहरू पुत्र पन्ना नायक का हिस्सा 16133/16300 में से 6000/16133 की भूमि के विषय में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने आवश्यक पक्षकार को पक्षकार न बनाने से अपील पोषणीय न होने के तथ्य की जानकारी न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.07.2022 को आवेदन प्रस्तुत कर अपीलान्ट को दे दी थी। जिसके बावजूद भी अपीलान्ट ने एक लम्बे समय के बाद पक्षकार बनाये जाने का आवेदन दिनांक 10.10.2023 को प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थना पत्र के साथ अपीलान्ट ने विलम्ब का कोई ठोस व स्प ठ संतो ाजनक जवाब पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2013 से भूखण्डधारी भवानी सिंह पुत्र हर दयाल सिंह जाति राजपूत, आशा देवी अग्रवाल पत्नी राज कुमार, बनवारी लाल, कन्हैयालाल, मदन लाल पुत्रान भूरामल, विमलेश पत्नी नन्द सिंह, पोखर मल पुत्र मोडूराम, रतन देवी पत्नी पोखरमल निवासी धमोड हॉस्पिटल के सामने जयपुर रोड, चौमूं तहसील चौमूं प्रभावित एवं पीडित पक्षकार होने से उन्हें अपील में रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगायत 10 संयोजित किया जाता है तथा अपीलान्ट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थना पत्र के साथ अपीलान्ट ने विलम्ब का कोई ठोस व स्पष्ट संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट नं. 4 का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपील पोषणीय नहीं होने के कारण अपील खारिज की जाती है।<br><br>(डॉ. आरूषी मलिक)<br>संभागीय आयुक्त<br>जयपुर | |